प्रेस विज्ञप्ति

23.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 19.06.2025 को श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा और अन्य के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में संलिप्त पाए जाने पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 3.98 करोड़ (लगभग) मूल्य की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्की की गई संपत्तियों में फ्लैट, निर्मित भवन और भूमि के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका मूल्य 2.01 करोड़ रुपये (लगभग) है और नकदी और वाहन के रूप में चल संपत्तियां 1.97 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की हैं।

ईडी ने कर्नाटक के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा, उनके पति हरीश केएन और अन्य के खिलाफ आईपीसी/बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप है कि श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा, उनके पति हरीश केएन और अन्य ने कई व्यक्तियों को धोखा देने और ठगने के लिए आपराधिक साजिश रची है, जिसमें उन्होंने उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके उनसे बैंक खातों के माध्यम से सोना, नकदी और धन लिया है। हालांकि, आरोपी ने न तो पैसे वापस किए और न ही वादा किया गया रिटर्न दिया और साथ ही कई हाई प्रोफाइल राजनेताओं से अपनी निकटता का दावा करके मामले को आगे बढ़ाने पर निवेशकों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सुश्री ऐश्वर्या गौड़ा और उनके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया। उक्त तलाशी अभियान के दौरान, चल/अचल संपत्तियों और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से धन शोधन गतिविधियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।